

उपासना स्थल अधिनियम, 1991

प्रलिस के लयः

उपासना स्थल (वशष प्रावधान) अधनललम, 1991

मेन्स के लयः

भारतीय संवधान, उपासना स्थल (वशष प्रावधान) अधनललम, 1991, संबंघतल प्रावधान

चर्चा में क्यों?

सॉलसलटर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कल उपासना स्थल अधनललम, 1991 की वैधता अयोध्या मामले में उसकी पाँच न्यायाधीशों की संवधान पीठ की राय द्वारा "कवर नहीं की जा सकती है"।

उपासना स्थल अधनललम:

- **वषलः** यह कसी भी उपासना स्थल के रूपांतरण को प्रतलबलधतल करने और उसके धारुमकल स्वरुप के रखरखाव और उससे संबंघतल या उसके आनुषंगकल मामलों के लयल के एक अधनललम के रूप में वर्णतल कलया गया है जैसा कलह 15 अगस्त, 1947 को था।
- **छूटः**
 - अयोध्या में वलवादतल स्थल को इस अधनललम से छूट दी गई थी। इस छूट के चलते अयोध्या मामले में इस कानून के लागू होने के बाद भी सुनवाई चलती रही।
 - अयोध्या वलवाद के अलावा इस अधनललम में इन्हें भी छूट दी गई है:
 - कोई भी पूजा स्थल जो एक प्राचीन और ऐतलहासकल स्मारक है, या एक पुरातात्त्वकल स्थल है जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व स्थल एवं अवशेष अधनललम, 1958 द्वारा संरक्षतल है।
 - एक ऐसा वाद जो अंततः नपलटा दलया गया हो।
 - कोई भी वलवाद जो पक्षों द्वारा सुलझाया गया हो या कसी स्थान का स्थानांतरण जो अधनललम के शुरू होने से पहले सहमतल से हुआ हो।
- **दंडः**
 - अधनललम की धारा 6 अधनललम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुरमाने के साथ अधिकतम तीन वर्ष के कारावास की सज़ा का प्रावधान करती है।
- **आलोचनाः**
 - इस कानून को इस आधार पर चुनौती दी गई है कलह न्यायकल समीक्षा पर रोक लगाता है, जो कलसंवधान की एक बुनयादी वशषता है, साथ ही यह एक "मनमाना तर्कहीन पूर्वव्यापी कटऑफ तथल" आरोपतल करता है जो हलदु, जैन, बौद्ध एवं सखलं के धारुमकल अधिकारों को सीमतल करता है।
 - **धरुमनरलपेक्षता के सदलधांत का उल्लंघनः** यह न्यायकल समीक्षा के उपचार की शक्तल को सीमतल करता है जो संवधान की एक बुनयादी वशषता है और इसललल संसद की वधायी क्षमता से बाहर है।
 - इसका परणलम यह होगा कल हलदु उपासक दीवानी न्यायालय में कोई मुकदमा दायर करके या भारत के संवधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर अपनी शकायत दर्ज़ नहीं करा सकेंगे। यदल अतलवादी 15 अगस्त, 1947 से पहले इस तरह की संपत्तल पर अतकलरमण कर चुके हैं, तो हलदु उपासक हलदु बंदोबस्ती, मंदरलं, मठों और अन्य संपत्तललं के धारुमकल स्वरुप को वापस पाने में भी असमर्थ होंगे, और इस तरह की अवैध संपत्तल की अवस्थतलल यथावत बनी रहेगी।
 - अधनललम ने उस भूमल को अपने दायरे से बाहर रखा था जो अयोध्या वलवाद का वषल था।

प्रावधानः

- **धारा 3:** इस अधनललम की धारा 3 उपासना स्थलों के परवलरतन पर रोक लगाने का प्रावधान करती है अर्थात् कोई भी वयक्त कसी भी धारुमकल

- **धारा 4(1):** यह घोषणा करती है कि 15 अगस्त, 1947 तक असतत्त्व में आए पूजा स्थलों की धार्मिक प्रकृति "पूर्ववत् बनी रहेगी।
- **धारा 4(2):** इसमें कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति के परिवर्तन के संबंध में किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।
 - इस उपखंड का प्रावधान उन मुकदमों, अपीलों और कानूनी कार्यवाही से बचाता है जो अधिनियम के प्रारंभ होने की तथिपर लंबित हैं, यद्यपि कट-ऑफ तथिके बाद पूजा स्थल के धार्मिक प्रकृति के रूपांतरण से संबंधित हैं।
- **धारा 5:** यह निर्धारित करती है कि अधिनियम रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।

- वर्ष 2019 के अयोध्या नरिणय में संवधान पीठ ने कानून का हवाला दिया और कहा कयिह संवधान के धरमनरिपेक्ष मूल्यों को प्रकट करता है तथा प्रतगिमन पर रोक लगाता है।
- इसलिय कानून भारतीय राजनीतकी धरमनरिपेक्ष वशिषताओं की रक्षा के लयि बनाया गया एक वधायी साधन है, जो संवधान की बुनयादी वशिषताओं में से एक है।

- अधनियम से जुड़ी कमियों के बावजूद हम पूजा स्थल अधनियम के महत्त्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह एक महत्त्वपूर्ण वधायी हस्तक्षेप है जो गैर-प्रतगिन को हमारे धर्मनरिपेक्ष मूल्यों की एक अनवर्य वशिषता के रूप में संरक्षति करता है।

?????????:

1. भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र के संदर्भ में अपनी बुनियादी संरचना को पराभिषिक्त करता है।
2. भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा और उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिये 'न्यायिक समीक्षा' का प्रावधान करता है, जिन पर संविधान आधारित है।

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

?????

परश्न. धरमनररपेकषतर की डारतीड अवरधारणुा धरमनररपेकषतर के ढशऑमी मॉडल से कसुर परकर भनुन है? वऑर-वमुंरश कीऑय। (२018)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

